

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(147)नविवि/3/2008

25 JUL 2022
जयपुर, दिनांक:

आदेश

राज्य में 5 जी सेवाओं के विस्तार हेतु पॉलिसी का प्रारूप तैयार किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है। उक्त समिति आगामी 15 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

1. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
2. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
3. DDG, License Service Area, DOT, Rajasthan
4. Representative of Reliance Jio
5. Representative of Indus Tower Ltd
6. Representative of Vodafone idea ltd
7. Representative of DIPA

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
5. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
6. DDG, License Service Area, DOT, Rajasthan
7. Representative of Reliance Jio
8. Representative of Indus Tower Ltd
9. Representative of Vodafone idea ltd
10. Representative of DIPA
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय